भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौ खक प्रश्न सं. 134#

गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/06 श्रावण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था

134#. श्री नीरज डांगीः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है क वर्तमान में देश के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हो रहा है;

(ख) इन पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम कए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 से अब तक खर्च की गई रा श का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक ववरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिनांक 28.07.2022 के राज्य सभा के मौ खक प्रश्न सं. 134# भाग (क) से (ग) के उत्तर में ववरण

(क) जी हाँ, महोदय ।

(ख) और (ग) : पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा वास्तव में राज्य सरकारों से संबं धत वषय है। तथा प, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा आदि से संबं धत मुद्दों का समाधान करने के लए व भन्न उपाय कए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है-

i. पर्यटन मंत्रालय ने सम र्पत पर्यटन पु लस की स्थापना के लए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष इस मामले को उठाया है । पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर , मध्य प्रदेश, ओ डशा, पंजाब, राजस्थान, सक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने कसी न कसी रूप में पर्यटक पु लस तैनात की है ।
ii. पर्यटन मंत्रालय यह मामला राज्य सरकारों के समक्ष रखने के लए गृह मंत्रालय (एमएचए) का सहयोग लेता रहा है । गृह मंत्रालय ने वर्ष **2015** में आयोजित डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन के दौरान हुए वचार-वमर्श के अनुसार पर्यटक पु लस संबंधी अवधारणा पत्र की एक प्रति अग्रे षत की थी । इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार व भन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एक पृथक पु लस इकाई के गठन के लए प्रायो गक परियोजना के रूप में **25** पर्यटक स्थलों की एक सूची साझा की गई थी । प्र शक्षण प्रदान करने के लए आईआईटीटीएम द्वारा प्रदत्तषप्र शक्षण मॉड्यूल भी गृह मंत्रालय को अग्रे षत कया गया था । गृह मंत्रालय ने भी उक्त प्र शक्षण दिए जाने के संबंध में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य स चवों को पत्र भेजे थे ।
iii. एक व्यापक कार्यढांचा तैयार करने के लए पु लस अनुसंधान एवं वकास ब्यूरो **(**बीपीआरएंडडी**)** ने पर्यटक पु लस योजना के संबंध में एक अध्ययन करवाया था जिसमें पर्यटन मंत्रालय भी शा मल था । इस रिपोर्ट में वश्लेषण अत्य धक व्यापक रूप में कया गया है और इसकी सफारिशों का कार्यान्वयन कए जाने से पर्यटक सुरक्षा के लए एक कार्यढांचा तैयार होगा। पर्यटन मंत्रालय ने अ खल भारतीय स्तर पर पर्यटक पु लस योजना के कार्यान्वयन के लए गृह मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाया है ।

iv. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पु लस की आवश्यकता को समझने और इस प्रकार तैयार की गई पर्यटक पु लस को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाने के लए अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्थान भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) से एक अध्ययन करवाया था । पर्यटन मंत्रालय ने "फंक्शनिंग ऑफ़ टूरिस्ट पु लस इन स्टेट/यूनियन टेरिटरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज" नामक इस अध्ययन रिपोर्ट की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी थी

v. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबं धत सूचना के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने और भारत में यात्रा करते समय संकटग्रस्त पर्यटको को समु चत मार्गदर्शन देने के लए घरेलू तथा वदेशी पर्यटकों हेतु 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन , फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी),हिंदी एवं अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री संख्या 1800111363 अथवा लघु कोड 1363 पर 24**x**7 बहुभाषी पर्यटक इन्फो हेल्पलाइन की शुरूआत की है ।

vi. पर्यटक मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन वभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुर क्षत एवं सम्मानजनक पर्यटन संबंधी आचार संहिता' को पारित कया है जो पर्यटकों एवं स्थानीय नवा सयों वशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लए गरिमा, सुरक्षा और उत्पीड़न से मुक्ति जैसे मूल अ धकारों को सम्मान देते हुए कए जाने वाले पर्यटन कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु दिशा निर्देशों का एक संग्रह है ।

vii. निर्भया फंड के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने वत्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान "महिलाओं के लए सुर क्षत पर्यटन स्थल" की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना से मध्य प्रदेश सरकार को 16,79,20,024/- रुपये की कुल रा श स्वीकृत की है और पहली कस्त के रूप में 6,24,46,860/- रुपये जारी कए हैं ।

******